

प्रेषक

संयुक्त शिक्षा निदेशक  
एवं सदरय सचिव (गण्डलीय समिति)  
द्वादश गण्डल, मुरादाबाद।

सेपा में,

सत्रित  
के प्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा बैंड-2, समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार,  
नई दिल्ली।

पत्रांक एन०ओ०सी०/

/2023-24

दिनांक: ०३/०८/२०२४

विषय: शशि मदन पब्लिक स्कूल, शिव शक्तिनगर, एन०एच०-५०९ निकट वीनस शुगर लिमिटेड चन्दौसी जिला सम्बल को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।  
महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा (7) अनुभाग के शासनादेश संख्या: १९१६/१५-७-०९-०१(२९९)/२००७ दिनांक १४.०७.२००९ एवं विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-०७, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-२१४४/१५-७-२०२०-१(३४)/२०२० दिनांक ०७ जनवरी, २०२१ के अनुपालन में आयुक्त, मुरादाबाद गण्डल, मुरादाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक ०२.०२.२०२४ में लिये गये निर्णय के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त एन०ओ०सी०/आवेदन संख्या-SNOC2023050611994, शशि मदन पब्लिक स्कूल, शिव शक्तिनगर, एन०एच०-५०९ निकट वीनस शुगर लिमिटेड चन्दौसी जिला सम्बल विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैं:-

- 1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 2- विद्यालय कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 3- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-२००९ के अन्तर्गत २५ प्रतिशत निर्धन वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करना अनिवार्य होगा।
- 4- फीस उन्हीं मदों में चार्ज किये जायें जो राज्य सरकार द्वारा अनुमत्य हो। फीस की दर इतनी होनी चाहिए जो सामान्यतः उस क्षेत्र में पूर्व में स्थित ऐसे अन्य विद्यालयों में चार्ज किया जा रहा है। काशनमनी/भवन शुल्क इत्यादि ऐसे मदों पर शुल्क न चार्ज किया जाये।
- 5- स्कूल सुरक्षा नीति, २०१६ का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 6- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान खत: समाप्त हो जायेगी।
- 7- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुगन्य वेतनमानों राशा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

- 8- कर्मचारियों की रोका शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्य सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 9- राज्य सरकार द्वारा रामय-रामग पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 10- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 11- राज्य सरकार एवं रुपी०बी०एरा०ई०, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवरण्यापना सुविधाओं की संपत्ति समझौता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 12- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुगोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

• उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाला जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घूफ या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(मनोज कुमार द्विवेदी)  
संयुक्त शिक्षा निदेशक  
एवं सदस्य सचिव  
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

पृष्ठोः एन०झ०सी०/ 76९३-९८ / 2023-24 दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र० लखनऊ।
- 2- आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
- 3- जिलाधिकारी, सम्मल।
- 4- जिला विद्यालय निरीक्षक, सम्मल।
- 5- प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, शशि मदन पब्लिक स्कूल, शिव शक्तिनगर, एन०एच०-५०९ निकट वीनस शुगर लिमिटेड बदौरी जिला सम्मल।

(मनोज कुमार द्विवेदी)  
संयुक्त शिक्षा निदेशक  
एवं सदस्य सचिव  
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।